266/1

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : 1983 / 05 / 76 / एक / 2015–16 दिनांक : 6 अगस्त 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–कुशीनगर।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37 / 83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एचडीएफसी बैंक	19067620000019	IFSC Code HDFC0001906	25.122

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	कुशीनगर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 खड्डा	वार्ड नं0 06 मे कन्हैइ प्रसाद रावत के घर से दक्षिण तरफ तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। वार्ड नं0 06 मे जय प्रकाश पाण्डेय के घर से किशोर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। वार्ड नं0 06 मे ठाकुर के घर से शमसु के घर तक इण्टरलाकिंग सड	13.075
2	कुशीनगर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 खड्डा	वार्ड नं0 02 मे नर्वदा गुप्ता के घर से मेन रोड आरा मशीन के पास इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। वार्ड नं0 02 मे डा0 विश्वनाथ चौहान के घर के कोने से सुवद्रा देवी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। वार्ड नं0 02 मे नर्वदा गुप्ता के घर से	12.047
	योग				25.122

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0 / परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4 अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दूरभाष- 2290709
22967[illegible]
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

266/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

5. स्थानीय स्तर पर ली गयी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें [illegible] के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय नियम/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के [illegible] कोई स्वीकृति/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6. प्रस्तावित परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का [illegible] वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7. परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में सम्बन्धित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों [illegible] की सहमति ले ली जाये।

8. [illegible] अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग [illegible] 16 में उल्लेख कर लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में [illegible] जाये। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9. उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार [illegible] में व्यय की जायेगी [illegible] परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार [illegible] उपलब्ध धनराशि में ही, समय से पूर्ण हो जायें।

10. उपरोक्त परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम [illegible] कार्यों की [illegible] पर [illegible] सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रक्रियाओं के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यपवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई [illegible] धनराशि जनपद को [illegible] की गई है। [illegible] कार्यों में यदि कार्य/धनराशि [illegible] हो तो [illegible] अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध [illegible] सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के [illegible] संयुक्त रूप से [illegible] होंगे।

12. [illegible] की धनराशि एवं शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की [illegible] अवमुक्त की गई है [illegible] धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि [illegible] भौतिक [illegible] सहित निर्धारित प्रपत्र पर [illegible] कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र [illegible] अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे [illegible] धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

([illegible] प्रताप सिंह)
[illegible] निदेशक

[illegible] तद्दिनांक
प्रतिलिपि [illegible] को सूचनार्थ प्रेषित।
[illegible] जिला नगरीय विकास अभिकरण, [illegible]
[illegible]
[illegible]

([illegible] सिंह)
[illegible] निदेशक